सं. ई- 7774/2016/एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

@@@@

चौथा तल, पर्यावरण भवन,

लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

08.08.2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव

ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी

सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

विषयः राज्य में एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों से संबंधित

महोदय/ महोदया,

जैसा कि आप जानते है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। गांव को स्वच्छ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एसएलडब्ल्यूएम पर बल देते हुए आईईसी मध्यवर्तन शुरू किए जाएं ताकि, आबादी के बीच इन गतिविधियों के लिए नई आवश्यकताओं का सृजन हो सके।

2. मैं एसबीएमजी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम के लिए निम्नलिखित सुझावों/ प्रावधानों को दोहराना चाहूँगा क्योंकि कई राज्यों ने केरल, तिरूवन्नतपुरम में 15 और 16 जुलाई 2016 को एसएलडब्ल्यूएम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में चर्चा के दौरान एसएलडब्ल्यूएम कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों की व्याख्या का अनुरोध किया था।

3. एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं को स्थाई रूप से कार्यान्वित करने में सभी ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए परिवारों की संख्या के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत (जीपी) के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता के साथ परियोजना मोड में एसएलडब्ल्यूएम शुरू किया जाना है।

4. राज्य एसएलडब्ल्यूएम के लिए अपने क्षेत्रों के लिए उपयुक्त तकनीक का निर्धारण करें। कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा पहचानी गई तकनीकों पर भी विचार किया जाए। घरेलू कचरे का एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण और सुरक्षित निपटान, विकेन्द्रित प्रणाली जैसे घरेलू कंपोस्टिंग और बायोगैस संयंत्रों को स्वीकृति दी जानी चाहिए।

गांवों में उर्वरक के रूप में जैविक ठोस अपशिष्ट पदार्थों के अधिकतम पुनःउपयोग संबंधी गतिविधियों को अपनाया जाए।

5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल पर पृथक्कीकरण, घरेलू स्तर पशु खाद्य के रूप में आर्द्र अपशिष्ट का उपयोग, घरेलू स्तर पर कंपोस्टिंग/ बायोगैस अथवा सामुदायिक स्तर पर कंपोस्टिंग अथवा बोयो गैस सृजन पर आधारित हो सकता है। स्रोत पर नॉन डिग्रेडेबल अपशिष्ट का पृथक्कीकरण और एकत्रण अलग-अलग डिब्बों (कूड़ादानों) का उपयोग करके किया जा सकता है। इसे घर-घर जाकर एकत्र किया जा सकता है और ग्राम स्तरीय भण्डारण स्थल (मैटेरियल रिकवरी केन्द्र (एमआरसी) अथवा रिसोर्स रिकवरी केन्द्र (आरआरसी)), पर रखा जा सकता है जहां से रिसाइकल कर्ता के पास नियमित आधार पर इसे भेजा जा सकता है।

6. तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन निम्नलिखित मूल सिद्धान्तों पर आधारित हो सकते हैं i) अपशिष्ट जल का न्यूनतम सृजन, ii) ब्लैक वॉटर यदि कोई हो तो और ग्रेवॉटर का पृथक्कीकरण, iii) अधिकतम संभावित स्तर तक अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, iv) सृजन के स्थल से निकटतम संभावित स्तर पर अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण/ विकेन्द्रित प्रणाली अपनाना।

7. तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीकों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड हो सकते हैं i) घरों और रिहायशी ढांचों के समीप स्थान की उपलब्धता ii) स्थलाकृति, मृदा संरचना और भू-जल स्थितियों सहित गांवों की भौगोलिक स्थिति, iii) जल के स्रोत और जलापूर्ति के ढांचे (निजी/ सार्वजनिक), iv) गांवों में और आस-पास सामान्य स्थान की उपलब्धता और v) ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति और ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध मानव संसाधन।

8. घरेलू स्तर पर तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सुझाव विचारार्थ प्रस्तुत हैं। यदि पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो तो ग्रे वॉटर को रसोई बगीचे अथवा लीच पीट तक ले जाया जा सकता है। यदि अपर्याप्त स्थान हो और मिट्टी पारगम्य हो तो लीच पीट बनाना अच्छा है। यदि अपर्याप्त स्थान हो और मिट्टी अर्ध-पारगम्य हो तो परिवर्तित लीच पीट का निर्माण किया जा सकता है। यदि मिट्टी पारगम्य न हो और आस-पास की मिट्टी पारगम्य हो तो 10 घरों से अधिक के लिए सामुदायिक लीच पीट का निर्माण किया जा सकता है। यदि मिट्टी पारगम्य न हो और आस-पास स्थान उपलब्ध हो तो गांव वॉटर स्टेबिलाइजेशन पांड (डब्ल्यूएसपी)/ रीड बैड सिस्टम (आरबीएस)/ डीईडब्ल्यूएटीएस को अपनाया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में जहाँ भू-जल स्तर अधिक हो तो एक ही विकल्प उपलब्ध है कि घरों से अपशिष्ट जल को एकत्रत कर उसे शुद्धिकरण प्रणाली तक ले जाया जाए। अपशिष्ट जल को सतही नालों/ छोटे बोर सिवरों/ पाइपों द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है। ग्रीट, ग्रीस और तैरते हुए अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए नियमित अंतराल पर इन्टरसेप्टर टैंक उपलब्ध होने चाहिए (ग्रामीण क्षेत्रों में एसएलडब्ल्यूएम पर तकनीकी विकल्प के पृष्ठ संख्या 8 से 11 का संदर्भ लें)। इस

अपशिष्ट जल का डब्ल्यूएसपी/ आरबीएस/ डीईडब्ल्यूएटीएस जैसे शुद्धिकरण प्रणाली से निपटान किया जाए।

9. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त एसएलडब्ल्यूएम तकनीकों के विवरण हेतु एक "ग्रामीण क्षेत्रों में एसएलडब्ल्यूएम पर तकनीकी विकल्प" नामक पुस्तिका और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अन्य प्रकाशनों का संदर्भ लिया जा सकता है। इन प्रकाशनों को वैबसाइट (www.mdws.gov.in) पर "प्रकाशन" शीर्ष के अंतर्गत अथवा http://www.mdws.gov.in/publications यूआरएल पर देखा जा सकता है।

10. मासिक धर्म अपशिष्ट (उपयोग किए गए सैनटरी क्लोथ अथवा पैड) के लिए सुरक्षित निपटान उपाय कार्यान्वित करने के लिए और स्कूलों में, महिला सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा गांवों में किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर इनसिनिरेटर/डीपकंपोस्टिंग स्थापित करने और संचयन तंत्र आदि के लिए एसएलडब्ल्यूएम हेतु आबंटित निधियां उपयोग की जा सकती हैं। तकनीकों में उपयुक्त विकल्प शामिल हो सकते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य हों तथा पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों।

11. ग्राम पंचायतों को एसएलडब्ल्यूएम परियोजना से कवर करने का लक्ष्य होना चाहिए। जिला के वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एसएलडब्ल्यूएम परियोजना शामिल होनी चाहिए। जिला का एआईपी राज्य स्तरीय स्कीम परियोजना संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। राज्य के निजी तकनीकी एवं वित्तीय नियमों के अनुसार डीडब्ल्यूएससी स्तर पर प्रत्येक निजी एसएलडब्ल्यूएम परियोजना का अनुमोदन किया जाए। एसएलडब्ल्यूएम परियोजना को शुरू करने से पहले स्थाई प्रचालन एवं रख-रखाव प्रणाली होनी चाहिए।

12. प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर कम से कम एक एसएलडब्ल्यूएम परामर्शदाता और प्रत्येक जिला डीडब्ल्यूएसएम/ डीडब्ल्यूएससी पर एक एसएलडब्ल्यूएम परामर्शदाता होना चाहिए ताकि, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एसएलडब्ल्यूएम परियोजना को तैयार करने में वे मार्गदर्शन दे सकें। इन परामर्शदाताओं का भुगतान एसबीएम (जी) प्रशासनिक निधियों से किया जाएगा (एसबीएम दिशा-निर्देशों के पैरा 7.3.5 और 7.4.4 का संदर्भ लें)। ऐसी परियोजनाओं को तैयार करने/ विकसित करने/ जांच / कार्यान्वयन के लिए पेशेवर एजेंसियों/ एनजीओ की सहायता ली जा सकती है। ऐसी एजेंसियों को एसएलडब्ल्यूएम परियोजना को तैयार करने, अनुवीक्षण और निगरानी लागत का भुगतान स्वयं परियोजना लागत के भाग के रूप में किया जा सकता है। पहले पाच वर्षों के प्रचालन का रख-रखाव लागत को परियोजना लागत के भाग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं को अन्य कार्यक्रमों से निधियां लेकर अथवा मनरेगा, एमपीएएलएडी, एमएलएएलएडी निधियों, वित्तीय आयोग निधियों, सीएसआर योगदान, स्वच्छ भारत कोष, दानदाता वित्त पोषण आदि जैसे वित्तीय स्रोतों से निधियां लेकर

वित्तीय रूप से समर्थ बनाया जा सकता है। अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के कार्यक्रमों से भी वित्त लिया जा सकता है।

भवदीय

(युगल किशोर जोशी)
निदेशक

प्रेषितः

राज्य समन्वयक एसबीएम (जी), सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

प्रति प्रेषितः

1. सचिव के पीपीएस
2. अपर सचिव के पीएस
3. संयुक्त सचिव (एसबीएम) के पीपीएस
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, एमडीडब्ल्यूएस की वैबसाइट पर इसे डालने के अनुरोध सहित